

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/लिंक नंबर-12452/अलेसे-गा/249
कार्यालय आदेश

दिनांक:- 13.2.2023

निम्नांकित सहालेखा, ग्रेड-गा को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. स.	लिंक नंबर	नाम सहालेखा. ग्रेड-गा	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नाम परीक्षा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	12452 / 2013	सुश्री/ श्रीमती विनीता पारीक	उपकोषाधिकारी, रत्नगढ़ (चुरू)	एम.कॉम (EAFM) फाईनल वर्ष-2022-23 (स्वयंपाठी) महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित इर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय रामय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- 3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदरथापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 7 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 8 अध्ययन वर्ष में उपरिथित का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 10 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निररत की जा सकती है।

अधिकारी


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/लिंक नंबर-12133/अलेसे-गा/249

दिनांक:- 13.2.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- उपकोषाधिकारी, रत्नगढ़ (चुरू)।
- 2- निजी संचय, निदेशक महोदय।
- 3- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वैदसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- सुश्री/ श्रीमती विनीता पारीक, सहालेखा, ग्रेड-गा, कार्यालय उपकोषाधिकारी, रत्नगढ़ (चुरू)।


(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-गा,गा)